प्रेस नोट
दिनांक 23.10.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–15/23, धारा 419,420 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनोद कुमार आनन्द पुत्र स्व0 मोतीलाल नि0 सरयू नहर खण्ड–05 गोण्डा स्थायी पता गांधी नगर नाका थाना को0 नगर जनपद फैजाबाद को गायत्री पुरम चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.01.2023 को इंद्रेश कुमार अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खण्ड–05 गोण्डा द्वारा 22,56,000/– रू0 के सरकारी धन गबन होने के सम्बन्ध में थाना को0 नगर में सूचना दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त विनोद कुमार आनन्द पुत्र स्व0 मोतीलाल नि0 सरयू नहर खण्ड–05 गोण्डा स्थायी पता गांधी नगर नाका थाना को0 नगर जनपद फैजाबाद को आज दिनांक 23.10.2024 को गायत्री पुरम चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. विनोद कुमार आनन्द पुत्र स्व0 मोतीलाल नि0 सरयू नहर खण्ड–05 गोण्डा, स्थायी पता गांधी नगर नाका थाना को0 नगर जनपद फैजाबाद।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 15/23, धारा 419,420 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
02. का0 राजेश कुमार।

प्रेस नोट
दिनांक 23.10.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत को0 नगर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र में पैदल गस्तकर आमजनमानस को कराया सुरक्षा अहसास, सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में आगामी धनतेरस, दीपावली, छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ_थाना को0 नगर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गस्त कर आमजनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। महोदय द्वारा जनसंवाद कर शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि धनतेरस पर्व के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध किए गए है तथा पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। संवेदनशील स्थलों पर सी0सी0टी0वी0/ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की गयी है। आवागमन के मार्गो, संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रभावी मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया कि धनतेरस पर्व के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रत्येक चौक, चौराहों व यातायात बिंदु पर पुलिस बल को तैनात करें, जिससे यातायात बाधित न हो सकें।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा, प्र0नि0 को0 नगर श्री मनोज कुमार पाठक सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 23.10.2024</u>

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए चोरी करने व जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 07–07 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000–15,000 रू0 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप 02 अभियुक्तों–01. किशोरे पुत्र गोकुल खटिक, 02. बहाले उर्फ राम बहाल पुत्र बाबू खटिक निवासीगण ग्राम खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 नवीन श्री नम्रता अग्रवाल द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13/14.08.2009 की रात्रि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी राम आशीष तिवारी पुत्र कुल्लू तिवारी नि0 ग्राम मुण्डेरवा कला थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के घर में घुस उनके परिजनों के साथ बल का प्रयोग करते हुए चोरी की गयी थी तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया था जिससे वादी के भाई मनीष के बाए हाथ में गम्भीर चोटे आयी थी। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसुंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए उक्त आरोपी अभियुक्तों को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना को0 देहात के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 नवीन श्री नम्रता अग्रवाल द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 07–07 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000–15,000 रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. किशोरे पुत्र गोकुल खटिक नि0 ग्राम खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. बहाले उर्फ राम बहाल पुत्र बाबू खटिक नि0 ग्राम खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–390/2009, धारा 307,327,382,411,120बी भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा। जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 23.10.2024</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रू0 5,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र सीताराम नि0 ग्राम सोनहरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

उक्त अभियुक्त ने धान की कटाई करते समय थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना इटियाथोक के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व 5,000 रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. दिनेश कुमार पुत्र सीताराम नि0 ग्राम सोनहरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–318/2019, धारा 354ए,504,506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>